न्यायालय सिविल जज(जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, नजीबाबाद, बिजनौर।

परिवाद संख्या–316 सन् 2019

नसरूद्दीन बनाम सगीर खान जायसवाल।

तलबी आदेश

दिनांक 26–05–2023

पत्रावली आज आदेशार्थ पेश हुई। परिवादी को बहस तलबी पर पूर्व में सुना जा चुका है तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया।

परिवादी का परिवाद पत्र के अनुसार कथन है कि प्रार्थी की लड़की मेहनाज परवीन की शादी दिनांक 18.07.2016 को मुल्जिम उपरोक्त के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। शादी में प्रार्थी ने काफी रूपया खर्च किया था, परन्तु शादी के बाद प्रार्थी को पता चला कि मुल्जिम उपरोक्त एक आवारा लालची व शातिर किस्म का व्यक्ति है तथा गैर औरतों से अनैतिक संबंध हैं तथा प्रार्थी की लड़की की मुल्जिम को समझाया तो मुल्जिम व उसके घरवालों ने प्रार्थी की लड़की को मारना पीटना शुरू कर दिया तथा कहा कि तेरे घर वालों ने तीन लाख रूपये नकद व कार नहीं दी। दिनांक 1502.2018 को प्रार्थी ने मुल्जिम को 50 हजार रूपये दिये तथा फिर भी मुल्जिम उसके परिवार वाले मांग दोहराते रहे। दि0 31.05.2018 को ईद की त्योहारी लेकर प्रार्थी व उसकी पत्नी मुल्जिम के घर गये और मुल्जिम को समझाया, परन्तु मुल्जिम ने प्रार्थी व उसकी पत्नी के सामने प्रार्थी की पुत्री को मारपीट किया, गाली गलौच किया तथा प्रार्थी व उसकी पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार किया तब मजबूर होकर थाना दन्कौर में एक एन0सी0आर0 103/2018 दर्ज करायी और उसके संबंध में एक प्रार्थना पत्र एस0सी0जे0एम0 दन्कौर के यहां विचाराधीन है। प्रार्थी की लड़की को मुल्जिम ने मारपीट कर बिना सरोसामानी की हालत में अपने घर से निकाल दिया तब से प्रार्थी की पुत्री प्रार्थी के घर पर रह रही है। मुल्जिम ने वाट्सप पर गलत मैसेज डालकर प्रार्थी व उसकी बेटी को समाज में पूरी तरह से बदनाम कर दिया। लोग प्रार्थी व उसकी बेटी को गिरी हुई नजरों से देखने लगे तथा सामाज के लोगों ने प्रार्थी व उसके परिवार से संबंध भी समाप्त कर लिये जबकि प्रार्थी एक सम्मानित व इज्जतदार व्यक्ति है तथा उत्तर रेलवे से रिटायर्ड है और समाज में उसकी अच्छा ख्याति थी अब लोगों ने प्रार्थी को अपने विवाह समारोह आदि में भी बुलाना बंद कर दिया है। प्रार्थी को समाज में उसकी इज्जत व प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान हुआ है जिसके लिए मुल्जिम पूरी तरह से जिम्मेदार है जिसकी भरपाई होना किसी प्रकार संभव नहीं है फिर भी इस कृत्य के लिए प्रार्थी मुल्जिम से एक लाख रूपये पाने का अधिकारी है तथा मुल्जिम को इस कृत्य के लिए सजा दिलाई जानी भी आवश्यक है। प्रार्थी ने मुल्जिम को इस बाबत एक नोटिस भी अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिलाया जो मुल्जिम को प्राप्त हो गया इसके बाद भी मुल्जिम ने न तो क्षमा याचना मांगी और न ही कोई क्षतिपूर्ति अदा की है। अपने अभिकथनों के समर्थन में परिवादी द्वारा धारा–200 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत स्वयं को व धारा–202 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत अफरोज जहां को परीक्षित कराया है।

विपक्षी द्वारा परिवादी की पुत्री मेहनाज परवीन को दहेज के कारण मारपीट करके घर से निकालने तथा परिवादी की लड़की को बदनाम करने की नियत से मोबाईल नं0 9412481441 से वाट्सप पर मैसेज भेजकर समाज में बदनाम किया जिससे परिवादी की

समाज में इज्जत व प्रतिष्ठा को नुकसान करने संबंधी उपरोक्त अभिकथनों का समर्थन परिवादी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 तथा परिवादी साक्षी अफरोज जहां ने अन्तर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 में किया है। ऐसे में विपक्षी के विरूद्ध धारा 323,500 भा0द0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होता है तथा उसे विचारणार्थ न्यायालय आहूत किया जाना न्यायोचित है।

<u>आदेश</u>

परिवाद उपरोक्त में अभियुक्त सगीर खान जायसवाल को धारा 323,500 भा0दं0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत विचारणार्थ बजरिये समन दिनांक 20–07–2023 नियत कर न्यायालय आहूत किया जाता है। परिवादी वांछित पैरवी अन्दर 7 दिन करें।

(एकलव्य सरोज)
सिविल जज, जू0डि0/जे0एम0,
नजीबाबाद, बिजनौर।